ऑन लाईन नं. GCMS 2025/3

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 03/2025

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री विवेक टंडन पुत्र श्री अवतार सिंह (मालिक व विक्रेता), 132 एच ब्लॉक, एच ब्लॉक डिग्गी के पास, श्रीगंगानगर।
   मैसर्स– सरदार जी जलेबी वाले, 37–38 सी पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक: 30.01.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खादद्य सुरक्षा अधिकारी का राज० गजट नोटिफिकेशन क्रमांक–संख्या प.5 (01) चिस्या / ग्रुप–3 / ई–5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक–आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था./2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2024 को समय 12.40 पीएम बजे को **मै. सरदार जी जलेबी वाले, 37–38 सी पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे, मौके पर श्री विवेक टंडन पुत्र श्री अवतार सिंह (मालिक एवं विक्रेता) को अपना परिचय देकर संस्थान पर रखे **जलेबी मिठाई** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वंय को संस्थान का मालिक बताया व संस्थान में लगभग 03किलो **जलेबी मिठाई (वनस्पति निर्मित)** को आमजन में विक्रय वास्ते होना बाताया, इसी खाद्य पदार्थ में गुणवत्ताहीन होने का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ खुरमानी मिठाई का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री विवेक टंडन पुत्र श्री अवतार सिंह (मालिक व विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री विवेक टंडन पुत्र श्री अवतार सिंह (मालिक व विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **जलेबी मिठाई (वनस्पति निर्मित)** में से 2 किलोग्राम विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ **जलेबी मिठाई (वनस्पति निर्मित)** का नगद भुगतान 400 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **जलेबी मिठाई (वनस्पति निर्मित)** 02 किलोग्राम को बराबर 500–500 ग्राम भागों में बांटकर 4 साफ–सूथरे सूखे डिब्बों में परिरक्षक फॉर्मलिन की 40–40 बूंदे डालकर ढक्कन को कसकर बंद कियेऔर चारों डिब्बों पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2507** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2507** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नगूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री विवेक टंडन पुत्र श्री अवतार सिंह (मालिक व विकेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./1306/Act/2024/1306 Dated 24.10.2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2507 SubStandard Food as extracted fat does not conform the standard of Vanaspati** होना पाया गया। खाद्यकारोबारकर्ता को जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया, परंतु खाद्यकारोबारकर्ता ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री विवेक टंडन पुत्र श्री अवतार सिंह (मालिक व विकेता), 132 एच ब्लॉक, एच ब्लॉक डिग्गी के पास, श्रीगंगानगर मैसर्स– सरदार जी जलेबी वाले, 37–38 सी पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर की **जलेबी मिठाई (वनस्पति निर्मित)** विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.01.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया कि

1. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 1 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदक साक्ष्य से प्रमाणिक करें कि उसके द्वारा अंकित कथन सत्य व सही है।

2. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 2 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है। आवेदक साक्ष्य से प्रमाणिक करें कि उसकें द्वारा अंकित कथन सत्य व सही है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

3. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 3 के वाक्यांत आंशिक रूप से स्वीकार है।

4. यह कि आवेदन पत्र की मद स. 4 के कथन अस्वीकार है। उक्त मद में किसी भी स्वतंत्र गवाह का होना नहीं बताया गया है। नमूनीकरण के उक्त कार्य में कोई स्वंतत्र गवाह नहीं होने के आधार पर भी उक्त परिवाद निरस्तणीय है। प्रस्तुत केशमीमो विक्रेता द्वारा जारी फर्म का मुद्रित केश मीमो नहीं है प्रस्तुत केश मीमों विभाग द्वारा मुद्रित है न की विक्रेता की फर्म का।

5. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 5 के कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। उक्त मद अनुसार निरीक्षण कर्ता को विक्रय हेतु उपलब्ध जलेबी मिठाई वनस्पति निर्मित विक्रेता से खरीद कर लिया। मिन जवाबदाता द्वारा वनस्पति से जलेबी मिठाई का निर्माण किया जाकर विक्रय किया जाता है। साथ ही कुकिंग ऑयल के गर्म करने व उसमें जलेबी मिठाई बनाने हेतु उपयोग में लिये गये अन्य खाद्य पदार्थ जैसे मैदा, चीनी, घी आदि का मिश्रण सम्मलित होने के कारण उक्त ऑयल की प्रकृति बदल जाती है। साथ ही गर्म करने के उपरान्त भी खाद्य ऑयल के घटक व प्रकृति में बदलाव आ जाता है। इस कारण से भी ऑयल की प्रकृति ताजा ऑयल से भिन्न हो जाती है।

6. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 6 पूर्णतया झूठे, गलत, मिथ्या एंव काल्पनिक तथ्यों पर आधारित होने के कारण अस्वीकार है। उक्त मदानुसार लिये गये सैम्पल कोड स. के 2507 को किस आधान/बर्तन में लिया गया एंव उसे किस प्रकार से एकरूपता प्रदान की गई आदि तथ्यों को नहीं बताया गया है जिससे यह साबित होता है कि नमूनीकरण का उक्त कार्य विधिनुसार नहीं किया गया है उक्त के आधार पर वाद पोषणीय नही होने के कारण वाद सव्यय निरस्तणीय है।

7. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 7 के कथन स्वीकार है।

8. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 8 के कथन जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।

9. यह कि आवेदन पत्र की मद सं. 9, 10, 11 एवं 12 जानकारी व प्रमाण के अभाव में अस्वीकार है।

10. यह कि आवेदन पत्र की मद स. 13 के तथ्य निराधार होने के कारण अस्वीकार है मिन जवाबदाता द्वारा किसी भी प्रकार से विधि का उलंघन नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद विधि विरूद्ध तथ्यों पर आवेदक द्वारा श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया है जो कि पोषणीय नहीं होने के कारण सव्यय निरस्तणीय है। उक्त वाद आवेदक द्वारा फूड लैब बीकानेर की जॉच रिपोर्ट नं. एल एस 1306/ऐक्ट/2024/1306 के आधार पर पेश किया गया है जबकि उक्त जॉच रिपोर्ट नमूना न० ए के 2507 व हनुमानगढ़ जिले के नमूना की है जो कि मिन जवाबदाता से लिये गये नमूना नं. के 2507 की नहीं है। न ही श्रीगंगानगर जिले की है। उक्त आधार पर ही वाद निरस्तणीय है। अप्रार्थी एफ बी ओ एफ एस ए की धारा 31 की उपधारा 2 की श्रेणी का कारोवारकर्ता जिसकी शास्ति धारा 51 के तहत अधिरोपित नहीं की जा सकती है।

अतिरिक्त कथन :–

1– यह कि उक्त वाद पत्र के साथ आवेदक द्वारा सत्यापन व अपना शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः उक्त वाद अपने आप में परिपूर्ण विधिक औपचारिकताओं के अभाव में निरस्तणीय है।

2– यह कि उक्त वाद में आवेदक द्वारा नमूनीकरण के दौरान किस आधान में नमूना लिया गया एंव नमूने को एकरूपता प्रदान करने के कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये है जिससे यह साबित हो कि आवेदक द्वारा नमूनीकरण के समय लिये गये सैम्पल को एक रूप नहीं किया गया जो कि विधिनुसार आवश्यक था। जिससे यह साबित होता

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नमूना सं. K–2507 लेते समय एफ एस एस ए के नियमो की पालना नहीं की गई है। न्याय दृष्टान्त FAC 207, 2014 (1) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे एकरूपता सही प्रकार से नहीं करने पर वाद निरस्त किया गया है। यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSO द्वारा उक्त नमूने को जन विश्लेषक के पास कब जमा करवाया इस बारे में कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त नमूना जॉच हेतु जन विश्लेषक को भेजा गया हो।

4– यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी FSO व जन विश्लेषक को गवाही के उद्देश्य से माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने व जिरह हेतु उपस्थित होने के आदेश फरमाये जावे जो कि न्यायहित के लिए आवश्यक है।

5– यह कि प्रस्तुत परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना की जाँच विधिनुसार नहीं की गई है।

6– यह कि मिन जवाबदाता द्वारा वनस्पति से जलेबी मिठाई का निर्माण किया जाकर विक्रय किया जाता है। साथ ही कुकिंग ऑयल के गर्म करने व उसमें जलेबी मिठाई बनाने हेतु उपयोग में लिये गये अन्य खाद्य पदार्थ जैसे मैदा, चीनी, घी आदि का मिश्रण सम्मलित होने के कारण उक्त ऑयल की प्रकृति बदल जाती है। साथ ही गर्म करने के उपरान्त भी खाद्य ऑयल के घटक व प्रकृति में बदलाव आ जाता है इस कारण से भी ऑयल की प्रकृति ताजा ऑयल से भिन्न हो जाती है।

7– यह कि प्रस्तुत परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर। विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। उक्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व अभिहित अधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन नहीं किया गया है तथा उक्त परिवाद में धारा 39 का उल्लंघन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा किया गया है जिसकी शास्ति/जुर्माना खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर विधिनुसार अधिरोपित कि जाकर उक्त अधिरोपित जुर्माना राशि मिन जवाबदाता को दिलवाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

8– यह कि अन्य कथन बरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त वाद आवेदक द्वारा विधि विरुद्ध तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एंव FSSA के तहत खाद्य नमूना संख्या AK–2507 की जाँच रिपोर्ट के आधार पर पेश किया गया वाद है जो कि मिन जवाबदाता से लिये गये नमूना सं. के 2507 की जाँच रिपोर्ट नहीं है। साथ ही उक्त जॉच रिपार्ट श्रीमान मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ के क्षेत्राधिकार की है जिसे श्रीमान न्यायालय को सुनने व विचारण का कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त वाद श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान् जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रकरण संख्या 03/2025 अनवानी स्टेट बनाम मैसर्स सरदार जी जलेबी वाले में जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट में जिला श्रीगंगानगर के स्थान पर त्रुटिवश जिला हनुमानगढ़ अंकन होकर एवं नमूना कमांक के–2507 के स्थान पर AK-2507 अंकित रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य विश्लेषक बीकानेर को त्रुटि सुधार हेतु पत्र कमांक 2025/773–74 दिनांक 12.06.2025 प्रेषित किया गया, जिस पर खाद्य विश्लेषक बीकानेर के पत्र कमांक P.H.L/BKN/2025/128 दिनांक 13.06.2025 से उक्त रिपोर्ट में त्रुटि सुधार कर corrigendum जारी किया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पत्रावली में परिवादी द्वारा प्रकरण को प्रभावित करनें के आशय से नमूना रिपोर्ट में निर्देशानुसार परिवर्तन करवा कर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की स्पष्ट अवहेलना की है। प्रकरण में जलेबी का नमूना श्रीगंगानगर के प्राधिकारी द्वारा लिया गया था जबकि रिपोर्ट में यह हनुमानगढ़ के कार्यालय से जारी होना बताया गया है। खाद्य विश्लेपक की रिपोर्ट में संशोधन करने हेतु उक्त प्रकरण में गवाह सी एम एच ओ श्रीगंगानगर द्वारा स्पष्ट निर्देशन किया गया है। जो कि न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है एंव प्रकरण के अभियुक्त के हितों के विरूद्ध है। ऐसे में प्रकरण को विपरित रूप से प्रभावित करने एंव रिपोर्ट को सी एम एच ओ के दिशा निर्देशों के अधीन बनाने के कारण सन्देह का लाभ अभियुक्त को देते हुए प्रकरण अभियुक्त के पक्ष में निर्णित किया जावे एंव स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर आगामी कार्यवाहियों में न्याय निर्णयक प्रभावित करने वाले ऐसे प्राधिकारी को दण्डित किया जावे। उच्च न्यायालयों के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। संशोधन की किस विधि एंव नियम के अन्तर्गत अभिनिर्देशित किया गया एंव खाद्य विश्लेषक द्वारा कौनसी शक्तियों के अधीन ऐसा संशोधन प्रभाव में लाया गया है। यह स्पष्ट किया जाना न्यायोचित है। परिवाद के समस्त गवाहों को जिरह हेतु उपस्थित होने के आदेश दिये जावे। उक्त वाद में अभियुक्त द्वारा जवाब दिनॉक 21.2.2025 को पेश किया गया था व पत्रावती बहस अन्तिम में चल रही थी। उक्त पत्रावली में बहस अन्तिम हो जाने के उपरान्त गवाह द्वारा उक्त संशोधन हेतु खाद्य विश्लेषक को निर्देशित किया गया व संशोधन निर्देशानुसार करवाया गया है जो कि असंवैधानिक है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 151 सी पी सी पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण को नमूना रिपोर्ट में निर्देशानुसार परिवर्तन करवा कर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की स्पष्ट अवहेलना के आधार पर न्यायहित में खारिज फरमाया जावे। श्रीमान की अति कृपा होगी।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण में सैंपल के–2507 दिनांक 16.10.2024 को जलेबी का फर्म सरदार जी जलेबी वाले, से श्रीगंगानगर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हाजा कार्यालय द्वारा लिया गया था, जो कि FORM VA एवं फर्द रिपोर्ट में अंकित है व हाजा कार्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेमोरेंडम Vi के साथ मय कार्यालय पत्र अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं खाद्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के द्वारा खाद्य विश्लेषक बीकानेर से उक्त नमूने की जांच हेतु भेजा गया था जिसमें कार्यालय संबंधित खाद्य विश्लेषक बीकानेर द्वारा मानवीय भूलवश टंकण त्रुटि हो गई थी। जिसे अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्देश पत्र द्वारा अंकित कार्यालय का शुद्धि पत्र मांगा गया, जिस पर खाद्य विश्लेषक बीकानेर द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड संधारण के आधार पर शुद्धि पत्र कार्यालय को जारी किया गया है। शेष यथावत है। जिसके संबंध में खाद्य विश्लेषक बीकानेर का शुद्धि पत्र (corrigendum) श्रीमान जी के न्यायालय में पूर्व में प्रस्तुत किया जा चुका है।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में जलेबी का सैंपल फर्म सरदार जी जलेबी वाले से श्रीगंगानगर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए सैंपल संख्या के–2507 के जरिए लिया गया एवं खाद्य विश्लेषक बीकानेर से जांच करवाने हेतु जमा करवाया गया। खाद्य विश्लेषक बीकानेर द्वारा अपनी Corrigendum Report कमांक PHL/BKN/2025/127 dated 13-06-2025 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि

With the reference of analysis Report of this Lab Report No. L.S. 1306/Act/2024/1306 dated: 24-10-2024. Pertaining to sample of Jalebi (Made in Vanaspati) bearing Code number and Serial number K-2507 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Ganganagar sample taken by Sh. Hans Raj Godara, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar amended as-

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

in the para 1 of the above report read it as–

Certified that I Indrajeet Aretiya, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Hans Raj Godara, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar a sample of Jalebi (Made in Vanaspati) bearing Code number and Serial number K-2507 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar area on 18-10-2024 for analysis.

and in the Opinion of the above report read it as–

Opinion– The sample of Jalebi (Made in Vanaspati) bearing Code No. and Sr. No. K-2507 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Substandard Food as extracted fat does not conform the standard of Vanaspati as prescribed in Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011.

and in the Address of the above report read it as–

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar.

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY, Commissionerate of Food Safety and Drug Control, Rajasthan, Jaipur.

**Due to error in typing, this will be appended with the original Report.**

खाद्य विश्लेषक बीकानेर के द्वारा अपने शुद्धि पत्र में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि टंकण में हुई त्रुटि के कारण नमूना संख्या AK-2507 दर्ज किया गया जबकि वास्तविक नमूना संख्या K-2507 है एवं कार्यालय का नाम **Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Hanumangarh** दर्ज किया गया जबकि वास्तविक कार्यालय का नाम **Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar** है। जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नमूना लिए जाने की कार्यवाही का संपादन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 151 सी पी सी पर बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। खाद्य विश्लेषक बीकानेर द्वारा जारी Corrigendum Report क्रमांक PHL/BKN/2025/127 dated 13-06-2025 के अनुसार टंकण में हुई त्रुटि के कारण नमूना संख्या AK-2507 दर्ज किया गया जबकि वास्तविक नमूना संख्या K-2507 है एवं कार्यालय का नाम **Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Hanumangarh** दर्ज किया गया जबकि वास्तविक कार्यालय का नाम **Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar** है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में नमूना रिपोर्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल मात्र टाईपिंग मिस्टेक में सुधार किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 151 सी पी सी खारिज किया जाता है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अन्य कथन किया कि अभियुक्त से लिया गया जलेबी मिठाई (वनस्पति निर्मित) का सेम्पल **K-2507** खाद्य विश्लेषक बीकानेर द्वारा अपनी Corrigendum Report क्रमांक PHL/BKN/2025/127 dated 13-06-2025 और स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक–L.S. 1306 Act 2024/1306 Dated 24-10-2024 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि आवेदक द्वारा विधि विरुद्ध तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एवं FSSA के तहत

अति. जिला कलक्टर (प्रशा.)
श्रीगंगानगर

in the para 1 of the above report read it as-

**Certified that 1 Indrajeet Aretiya, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Hans Raj Godara, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar a sample of Jalebi (Made in Vanaspati) bearing Code number and Serial number K-2507 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar area on 18-10-2024 for analysis.**

and in the Opinion of the above report read it as-

Opinion- **The sample of Jalebi (Made in Vanaspati) bearing Code No. and Sr. No. K-2507 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Substandard Food as extracted fat does not conform the standard of Vanaspati as prescribed in Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011.**

and in the Address of the above report read it as-

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar.

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY. Commissionerate of Food Safety and Drug Control, Rajasthan, Jaipur.

**Due to error in typing, this will be appended with the original Report.**

खाद्य विश्लेषक बीकानेर के द्वारा अपने शुद्धि पत्र में स्टष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि टंकण में हुई त्रुटि के कारण नमूना संख्या AK-2507 दर्ज किया गया जबकि वास्तविक नमूना संख्या K-2507 है एवं कार्यालय का नाम **Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Hanumangarh** दर्ज किया गया जबकि वास्तविक कार्यालय का नाम **Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar** है, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नूमना लिये जाने की कार्यवाही का संपादन किया गया।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 151 सी पी सी पर बहस सुनी गई एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। खाद्य विश्लेषक बीकानेर द्वारा जारी Corrigendum Report कमांक PHL/BKN/2025/127 dated 13-06-2025 के अनुसार टंकण में हुई त्रुटि के कारण नमूना संख्या AK-2507 दर्ज किया गया जबकि वास्तविक नमूना संख्या K-2507 है एवं कार्यालय का नाम **Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Hanumangarh** दर्ज किया गया जबकि वास्तविक कार्यालय का नाम **Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar** है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में नमूना रिपोर्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करवा गया है, केवल मात्र टाईपिंग मिस्टेक में सुधार किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 151 सी पी सी खारिज किया जाता है।

राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि अभियुक्त से लिया गया **जलेबी मिठाई (वनस्पति निर्मित)** का सैम्पल **K-2507** खाद्य विश्लेषक बीकानेर द्वारा अपनी Corrigendum Report कमांक PHL/BKN/2025/127 dated 13-06-2025 और स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक–L.S./1306/Act/2024/1306 Dated 24-10-2024 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि आवेदक द्वारा विधि विरुद्ध तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है एंव FSSA के तहत

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

खाद्य नमूना संख्या AK–2507 की जाँच रिपोर्ट के आधार पर पेश किया गया वाद है जो कि भिन जवाबदाता से लिये गये नमूना सं. के 2507 की जाँच रिपोर्ट नहीं है। साथ ही उक्त जाँच रिपार्ट श्रीमान मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ के क्षेत्राधिकार की है जिसे श्रीमान न्यायालय को सुनने व विचारण का कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त वाद श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। अतः वाद न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है। श्रीमान् जी से अनुरोध है कि वाद निरस्त फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम के तहत सही प्रकिया अपनाते हुए नियमानुसार नमूने का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Jalebi(Made in Vanaspati)"** bearing Code No and Sr. No. **K-2507**, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Substandard food as extacted fat does not conform to the standard of Vanaspati as prescribed in Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011**.की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री विवेक टंडन पुत्र श्री अवतार सिंह (मालिक व विकेता), 132 एच ब्लॉक, एच ब्लॉक डिग्गी के पास, श्रीगंगानगर मैसर्स– सरदार जी जलेबी वाले, 37–38 सी पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री विवेक टंडन पुत्र श्री अवतार सिंह (मालिक व विकेता), 132 एच ब्लॉक, एच ब्लॉक डिग्गी के पास, श्रीगंगानगर मैसर्स– सरदार जी जलेबी वाले, 37–38 सी पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 7,000–00 (अखरे रूपये सात हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner